रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112020-223253
CG-DL-E-23112020-223253

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2020/अग्रहायण 2, 1942
No. 332] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2020/AGRAHAYANA 2, 1942

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2020

सं. 4 (5)/2020- एसडी. —(1). केन्द्रीय सरकार ने लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश 1956 जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन जारी किया गया था, के खंड 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 7 अप्रैल 1971 के का. आ. 1567 के तहत संयुक्त संयंत्र समिति गठित की है जिसकी संरचना तथा कार्य उनमें विनिर्दिष्ट हैं। संयुक्त समिति की संरचना और कार्य को समय-समय पर आशोधित किया गया है।

2. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का सं. 54) जिसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्त मामले विभाग) द्वारा 12 फरवरी 2007 से लागू किया गया था, द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 से लोहा और इस्पात को हटाए जाने के परिणामस्वरूप संयुक्त संयंत्र समिति ने दिनांक 18 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं. 4 (5)/ 03-डी I में यथा विनिर्दिष्ट संरचना और कार्यों के साथ कार्य करना जारी रखा था। इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार ने 13 अप्रैल 2017 की अधिसूचना सं. 4 (17)/ 2016- एसडी I के तहत निजी संगठनों, इस्पात उत्पादन संघों तथा इस्पात मंत्रालय को छोड़कर सरकार के विभागों के प्रतिनिधित्व को शामिल करके संयुक्त संयंत्र समिति की संरचना का विस्तार किया जबकि संयुक्त संयंत्र समिति के कार्य वही बने रहे।

3. दिनांक 29, नवंबर, 2019 की बैठक में लिए गए संकल्प के अनुपालन में, संयुक्त संयंत्र समिति वेस्ट बंगाल सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के अधीन 1 अप्रेल 2021 से एक सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत होगी जिसकी संरचना कार्य क्रमश: दिनांक 18 अगस्त 2008 की अधिसूचना सं 4 (5)/ 03 – डी I तथा दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं 4(17)/2016- एसडी I के तहत इस्पात मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. निम्नलिखित उपायों/प्रकियाओं का सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पालन किया जाएगा: —

(i) सोसाइटी वेस्ट बंगाल सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 (संक्षेप में "यह अधिनियम") के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और प्रशासित की जाएगी।

(ii) सोसाइटी क्रमश: दिनांक 18 अगस्त 2008 की अधिसूचना सं 4 (5)/03 – डी I तथा दिनांक 13 अप्रैल 2017 की अधिसूचना सं 4 (17)/ 2016- एसडी I के तहत इस्पात मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट संरचना और कार्यों के साथ रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

(iii) संगम ज्ञापन में सोसाइटी का नाम, सोसाइटी के उद्देश्य, शासक, परिषद, निदेशक, समिति अथवा अन्य शासी निकाय जिनको, सोसाइटी के नियमों द्वारा, इसके कामकाज का प्रबंधन सौंपा जाता है, के नाम, पते तथा पेशे निहित होंगें।

(iv) सोसाइटी के नियमों एवं विनियमों की एक प्रति जो शासी निकाय के न्यूनतम तीन सदस्यों द्वारा सही प्रति के रूप में सत्यापित की गई हो, संगम ज्ञापन में दर्ज की जाएगी।

(v) सोसाइटी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य वेस्ट बंगाल सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 और आय कर अधिनियम, 1961 दोनों के अधीन सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, से वर्तमान संयुक्त संयंत्र समिति की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अधिग्रहण करना होगा।

(vi) वेस्ट बंगाल सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का सफल संपादन होने पर, वर्तमान जेपीसी (गैर-रजिस्ट्रीकृत) की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अंतरण नए निकाय (रजिस्ट्रीकृत) को किया जाएगा।

(vii) संयुक्त संयंत्र समिति की सभी आकस्मिक देयताएं, अभियोग (यदि कोई हो), भावी देयताएं इत्यादि वेस्ट बंगाल सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त की जाएंगी।

(viii) चूंकि जेपीसी आयकर अधिनियम (संक्षेप में "यह अधिनियम") की धारा 10 (23 ग) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, इसलिए वेस्ट बंगाल सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के अधीन सोसाइटी द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त देयताओं पर अधिनियम की धारा 56 के अधीन कर नहीं लगेगा।

(ix) चूंकि संयुक्त संयंत्र समिति वेस्ट बंगाल सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1961 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होगी, इसलिए इसे इस अधिनियम के अधीन यथा प्रयोज्य उगाही करों तथा प्रभारों के संदर्भ में सभी छूटें/रियायतें प्राप्त होंगी।

(x) वेस्ट बंगाल सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1961 तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के सफल संपादन की तारीख से इस्पात विकास निधि (संक्षेप में "एसडीएफ") जेपीसी का भाग नहीं रह जाएगी और इसे एक पृथक निकाय के रूप में माना जाएगा।

(xi) रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी एसडीएफ प्रबंधन समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करना जारी रखेगी।

(xii) सोसाइटी के नियमों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष सोसाइटी की वार्षिक आम सभा की बैठक आयोजित होने की तिथि से 14 वें दिन अथवा उससे पहले समिति के रजिस्ट्रार के पास समिति के मामलों का प्रबंध देखने के लिए जिम्मेदार शासकों, परिषद, निदेशकों समिति अथवा अन्य शासी निकाय के पदाधिकारियों के नाम व पतों की सूची उपलब्ध करानी होंगी।

(xiii) इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की चल और अचल संपत्ति ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय में तत्समय निहित मानी जाएगी और सभी कार्यवाहियों, दीवानी और फौजदारी में इन्हें ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय की संपत्ति के रूप मे उनकी समुचित उपाधि द्वारा वर्णित किया जा सकेगा।

(xiv) जब कभी सोसाइटी के शासी निकाय को लगेगा कि ऐसे प्रयोजन को बदलना, विस्तारित करना या संक्षिप्त करना या इस अधिनियम के अभिप्राय के भीतर अन्य प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य सोसाइटी के साथ पूर्णत: या अंशत: ऐसी सोसाइटी को आमेलित करना उचित है तो ऐसा शासी निकाय लिखित अथवा मुद्रित रिपोर्ट में सोसाइटी के सदस्यों को प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है और सोसाइटी के विनियमों के अनुसार इसके विचारार्थ एक विशेष बैठक बुला सकता है।

(xv) सोसाइटी ऐसे अन्य कृत्य करेगी जो संगम ज्ञापन में यथाविनिर्दिष्ट है तथा जो सोसाइटी के विनियमों के अनुसार बहुसंख्यक सदस्यों की सहमति से शासी निकाय द्वारा इसे सौंपे गए हैं।

रसिका चौबे, अपर सचिव

MINISTRY OF STEEL

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2020

No 4(5)/2020-SD.—(1). In exercise of the power conferred by Clause 17 of the Iron & Steel (Control) Order, 1956, which was issued under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, the Central Government have constituted the Joint Plant Committee, vide S.O. 1567 dated 7th April 1971, with the composition and functions specified therein. The composition and functions of the Joint Plant Committee have been modified from time to time.

2. Consequent upon removal of Iron & Steel from the Essential Commodities Act, 1955 by the Essential Commodities (Amendment) Act, 2006 (No. 54 of 2006), which was brought into force w.e.f. 12th February, 2007 by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affair), the Joint Plant Committee was continuing to function with the composition and functions as specified in Notification No. 4 (5)/03-DI dated 18th August, 2008. Ministry of Steel, Government of India, vide Notification No. 4(17)/2016-SDI dated 13th April 2017, expanded the composition of Joint Plant Committee, bringing representations from private organizations, steel producing associations and from arms of government other than the Ministry of Steel while the functions of Joint Plant Committee remained the same.

3. In compliance with the resolution taken in the meeting dated 29th November, 2019, the Joint Plant Committee shall be registered as a Society w.e.f. 1st April, 2021 under West Bengal Societies Registration Act, 1961 with composition and functions as specified by the Ministry of Steel vide Notification No. 4 (5)/03-DI dated 18th August, 2008 and Notification No. 4(17)/2016-SDI dated 13th April 2017 respectively.

4. The under-mentioned steps/procedures shall be followed for registration as a Society:

(i) The Society shall be registered under & governed by the provisions of the West Bengal Societies Registration Act 1961 (in short "this Act").

(ii) The Society shall be registered with composition and functions as specified by the Ministry of Steel vide Notification No. 4 (5)/03-DI dated 18th August, 2008 and Notification No. 4(17)/2016-SDI dated 13th April 2017 respectively.

(iii) The Memorandum of Association shall contain the name of the society, the objects of the society, the names, addresses and occupations of the governors, council, directors, committee or other governing body to whom, by the rules of the society, the management of its affairs is entrusted.

(iv) A copy of the rules and regulations of the society, certified to be a correct copy by not less than three of the members of the governing body, shall be filed with the memorandum of association.

(v) One of the principal objects of the Society will be to take over all the assets and liabilities of the present Joint Plant Committee with effect from the date of the registration of the Society under both West Bengal Societies Registration Act 1961 and the Income Tax Act 1961 whichever is later.

(vi) Upon successful completion of registration under West Bengal Societies Registration Act 1961 and registration under the section 10 of the Income Tax Act 1961, all assets and liabilities of the present JPC (unregistered) will be transferred to the new entity (registered).

(vii) All contingent liabilities, litigations (if any), future liabilities etc of Joint Plant Committee to be inherited by the Society registered under West Bengal Societies Registration Act1961.

(viii) Since JPC is registered under section 10(23C) (iv) of the Income tax Act (in short "the Act"), the assets inherited by the society under West Bengal Societies Registration Act 1961 shall not be liable to tax under section 56 of the Act.

(ix) Since Joint Plant Committee will be registered under West Bengal Societies Registration Act 1961, it shall enjoy all exemptions/concessions in terms of levy, taxes and charges as applicable under this Act.

(x) From the date of successful completion of registration under West Bengal Societies Registration Act 1961 and registration under the section 10 of the Income Tax Act 1961, the Steel Development Fund (in short "SDF") shall no longer be a part of JPC and it will be treated as a separate entity.

(xi) The registered society will continue to act as the Secretariat of the SDF Managing Committee.

(xii) Once in every year, on or before the fourteenth day succeeding the day on which, according to the rules of the society, the annual general meeting of the society held, a list shall be filed with the Registrar of Societies of the names, addresses and occupations of the governors, council, directors, committee or other governing body then entrusted with the management of the affairs of the society.

(xiii) The property, movable and immovable, belonging to a society registered under this Act shall be deemed to be vested, for the time being, in the governing body of such society, and in all proceedings, civil and criminal, may be described as the property of the governing body of such society by their proper title.

(xiv) Whenever it shall appear to the governing body of the society that it is advisable to alter, extend or abridge such purpose to or for other purposes within the meaning of this Act, or to amalgamate such society either wholly or partially with any other society, such governing body may submit the proposition to the members of the society in a written or printed report and may convene a special meeting for the consideration thereof according to the regulations of the society.

(xv) The Society shall perform such other functions as specified in Memorandum of Association and as entrusted to it by the governing body with the consent of the majority of its members according to the regulations of the society.

RASIKA CHAUBE, Adl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.11.23 20:00:04 +05'30'